

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र / 2 / 13

जयपुर, दिनांक : 5.4.2013

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री हनुमान सहाय मीणा सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/सी/20 गौधीनगर	30.6.2028	39/09
2	श्रीमती सुनीता कुमारी कनिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	4/18 गौधीनगर (4/95, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2033	98/09
3	श्री किशोर कुमार क्षत्री वरिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	4/30 गौधीनगर	31.5.2020	142/09
4	श्री प्रहलाद सिंह रीडर राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, जयपुर	4/28 गौधीनगर	30.9.2020	8/10
5	श्री विकास गोयल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय राजस्व मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर	4/68 गौधीनगर	31.7.2033	46/10
6	श्री सेवाराम रीडर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (रिलेव), जयपुर महानगर, जयपुर	4/132 गौधीनगर	30.6.2021	11/10
7	श्रीमती सरोज कुमारी कनिष्ठ लिपिक राजकीय वीमा औषधालय, नम्बर-5, बापू नगर, जयपुर	4/81 गौधीनगर	31.7.2031	17/10
8	श्री सूरत सिंह यादव कनिष्ठ लिपिक सीआईडी सीवी, जयपुर	4/85 गौधीनगर	31.8.2036	21/10
9	श्री मोहनसिंह मीणा नर्स ग्रेड-ग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/108 गौधीनगर	31.10.2028	22/10
10	श्री हरदयाल जैफ सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	4/109 गौधीनगर	31.1.2022	32/10

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कर्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्थीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
 9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
 10. क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री हनुमान सहाय मीणा से सामान्य सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजरथान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. सदस्य, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (रेलवे), जयपुर महानगर, जयपुर।
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय बीमा औषधालय, नम्बर-5, बापू नगर, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सीबी, जयपुर।
10. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकाँम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. अधिशासी अभियन्ता, साठनिवी/जन स्वातं अभिवी/जयपुर विविनिगम लिंग, गौधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
16. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
17. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव